बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

कार्या0आ0सं0: 104/1490　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 08/11/2016

बिहार के सभी ग्राम पंचायतों को 'खुले में शौच से मुक्त पंचायत' बनाने के उद्देश्य से राज्य में 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' चलाया जा रहा है जिसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना के प्रवधानों से पूरा किया जाना है। इसके अंतर्गत 'समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता' (Community Led Total Sanitation-CLTS) विधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। CLTS विधि पर प्रशिक्षित वैसे व्यक्ति जो जिला जल एवं स्वच्छता समिति से सम्बद्ध नहीं हैं और सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं को CLTS विधि से ग्राम पंचायत को **'खुले में शौच से मुक्त' बनाने में समुदाय को प्रेरित करने एवं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपरांत 'परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान' की प्रक्रिया** निम्नवत् निरूपित की जाती है;

परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया

1. ग्रामीण विकास विभाग/जीविका/जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा आयोजित CLTS प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत एक विशेषज्ञ उत्प्रेरक को चार उत्प्रेरकों के साथ एक ग्राम पंचायत में लगाया जायेगा।
2. विशेषज्ञ उत्प्रेरक, जिला समन्वयक/प्रखण्ड समन्वयक के सहयोग से चार उत्प्रेरकों को CLTS विधि पर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के उपरांत 5 सदस्यीय दल आवंटित ग्राम पंचायत में CLTS विधि से समुदाय को निर्धारित अवधि में 'खुले में शौच से मुक्ति' के लिए प्रेरित करेंगे;

a. 'खुले में शौच से मुक्त पंचायत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की निर्धारित अवधि

i.	प्री ट्रीगरिंग	8 से 10 दिन
ii.	ट्रीगरिंग	4 से 5 दिन (क्रम i., ii. को मिलाकर अधिकतम 15 दिन)
iii.	फॉलोअप	15 दिन
iv.	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण एवं खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा/प्रमाणीकरण	3 माह

3. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा 'विशेषज्ञ उत्प्रेरक' के रूप में चिन्हित व्यक्तियों से उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षक, मास्टर प्रशिक्षक एवं चैम्पियन के रूप में कार्य लिया जायेगा, जिसकी अर्हता निम्नवत् होगी;

श्रेणी	स्तर	अर्हताएं	अवधि
विशेषज्ञ उत्प्रेरक	ग्राम पंचायत	एक ग्राम पंचायत का खुले में शौच से मुक्त होना एवं 4 उत्प्रेरकों को प्रशिक्षित करना	4 से 6 माह
प्रशिक्षक	दो ग्राम पंचायतों का संकुल	दो ग्राम पंचायत का खुले में शौच से मुक्त होना एवं 8 उत्प्रेरकों/1 विशेषज्ञ उत्प्रेरक को प्रशिक्षित करना	4 से 6 माह
मास्टर प्रशिक्षक	प्रखण्ड	2 संकुल का खुले में शौच से मुक्त होना और 2 प्रशिक्षक तैयार करना	6 से 9 माह
चैम्पियन	जिला	1 प्रखण्ड का खुले में शौच से मुक्त होना और 10 मास्टर प्रशिक्षक तैयार करना	9 से 12 माह

उपरोक्त का प्राथमिक उद्देश्य खुले में शौच की आदत के व्यवहार को बदलने के लिए समुदाय के स्तर पर उत्प्रेरकों की सुलभ उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इस कार्य से जुड़ने वाले सभी व्यक्ति वस्तुतः CLTS विधि पर प्रशिक्षित होंगे और CLTS विधि का उपयोग कर उनका सामूहिक व्यवहार परिवर्तन कर समुदाय को स्वच्छ व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

4. खुले में शौच से मुक्ति की परिभाषा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक S-11011/2/2015-SBM दिनांक 09 जून, 2015 के अनुसार निम्नवत् परिभाषित होगी–
'No visible faeces found in the environment/ village and every households as well as public/ community institutions using safe technology option for disposal of faeces' अर्थात् खुले में शौच मुक्त समुदाय का तात्पर्य वैसे समुदाय से है, जो समुदाय खुले में शौच की आदत से मुक्त हो तथा समुदाय के सभी परिवारों के सभी सदस्यों के द्वारा मल/अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल

किया जा रहा हो। साथ ही, उस समुदाय में मौजूद सभी सरकारी भवनों यथा विद्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत भवनों में और अन्य सामुदायिक स्थलों पर मानव मल के सुरक्षित निष्पादन की व्यवस्था हो एवं उसका उपयोग किया जा रहा हो तथा समुदाय का कोई भी सदस्य किसी भी परिस्थिति में खुले में शौच नहीं करता हो। 'सुरक्षित तकनीकी विकल्प का तात्पर्य एक व्यवस्थित उपसंरचना की इकाई से है, जो मानव मल को खुले में संपर्क से दूर रखे और समुचित पैन और पी–ट्रैप युक्त हो।

5. **उत्प्रेरक का जुड़ाव**

   a. एक ग्राम पंचायत में औसत 2000 परिवार को लक्ष्य मानकर प्रति 500 परिवार पर एक उत्प्रेरक को कार्य में लगाया जायेगा; परन्तु अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायत में लगाये गये सभी उत्प्रेरक विशेषज्ञ उत्प्रेरक के नेतृत्व में एक टीम के रूप में कार्य करेंगे।

   b. उत्प्रेरकों को प्री ट्रीगरिंग गतिविधि के समय से ही लगाया जायेगा।

   c. उत्प्रेरक के रूप में जुड़ने वाले व्यक्ति प्री–ट्रीगरिंग से लेकर समुदाय द्वारा पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित होने तक पूरी टीम के साथ लक्षित ग्राम पंचायत में ही कैम्प करेंगे। आवासन आदि की व्यवस्था जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सुनिष्चित की जायेगी।

   d. उत्प्रेरक के रूप में जुड़ने की प्राथमिक शर्त संबंधित व्यक्ति के सभी परिवार के लोगों का खुले में शौच नहीं कर शौचालय का नियमित प्रयोग करना होगा।

   e. खुले में शौच से मुक्ति की प्रक्रिया चार माह से अधिक समय तक संपादित नहीं की जायेगी। विलंब की स्थिति में सम्यक् निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सक्षम प्राधिकार होंगे।

   f. उत्प्रेरकों के समूह को जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।

6. **उत्प्रेरकों के कार्य अवसर**

   a. उत्प्रेरक के प्रयासों से समुदाय द्वारा यदि किसी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाता है तो उनसे जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा विशेषज्ञ उत्प्रेरक के रूप में कार्य लिया जायेगा।

   b. विशेषज्ञ उत्प्रेरक के प्रयासों से यदि एक ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाता है और 4 उत्प्रेरकों को प्रशिक्षित किया जाता है तो जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उनसे प्रशिक्षक के रूप में कार्य लिया जायेगा।

   c. प्रशिक्षक के प्रयासों से यदि दो (2) ग्राम पंचायत (संकुल) खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाता हैं, एक विशेषज्ञ उत्प्रेरक अथवा 8 उत्प्रेरकों को प्रशिक्षित किया जाता हैं तो जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उनसे मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कार्य लिया जायेगा।

   d. मास्टर प्रशिक्षक के प्रयासों से यदि चार (4) ग्राम पंचायतों (दो संकुल) को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाता है और दो (2) विषेशज्ञों को प्रशिक्षित किया जाता है तो जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उनसे चैम्पियन के रूप में कार्य लिया जायेगा।

7- **Community Mobilization Cost**

   a. **CLTS** प्रशिक्षित उत्प्रेरकों को दिये जाने वाले पुरस्कार राशि का भुगतान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत **शौचालय निर्माण के विरूद्ध रू. 150 (एक सौ पचास रूपये) प्रति शौचालय की प्रोत्साहन राशि** मद में से प्रदान किया जायेगा ।

   b. एक ग्राम पंचायत में चार (4) उत्प्रेरकों को लगाया जाना है और पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित होने की स्थिति में प्रति उत्प्रेरक रू. 5000 (पाँच हजार रूपये) मात्र की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

   c. CLTS प्रशिक्षित उत्प्रेरक एवं अन्य को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि मानदेय, भत्ता अथवा वेतन के रूप में नहीं मानी जायेगी।

   d. CLTS प्रशिक्षित उत्प्रेरकों को दैनिक कार्य परिणाम के आधार पर पुरस्कार राशि का भुगतान उपकंडिका–a में निर्धारित प्रावधान के अनुसार ही दिया जायेगा। उनके यात्रा भत्ता, आवासन, भोजनादि की व्यवस्था जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा की जायेगी, जो कि रू. 200 (दो सौ रूपये) मात्र प्रति कार्य दिवस होगी।

   e. विशेषज्ञ उत्प्रेरक, प्रशिक्षक, मास्टर प्रशिक्षक एवं चैम्पियन को दैनिक कार्य परिणाम के आधार पर पुरस्कार राशि का भुगतान क्रमशः रू. 500/–, रू. 1000/–, रू. 1500/– एवं रू. 2000/– प्रति कार्य दिवस की दर से किया जायेगा।

   f. उपरोयुक्त मदों में होने वाला व्यय ग्राम पंचायत में औसतन कुल बनने वाले शौचालय के लिये प्रति शौचालय 150 रूपये की दर से मोटिभेटर के लिये कुल प्रावधानित राशि तक सीमित होगा।

   g. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कंडिका–f में प्रति पंचायत प्रावधानित राशि की सीमा तक आवश्यकतानुसार उत्प्रेरकों को राशि की भुगतान की प्रकिया निर्धारित की जा सकती है। विभिन्न जिला

जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा वर्तमान में इस प्रकार की प्रकिया को निर्धारित करते हुंए कारवाई की जा रही है। CLTS प्रशिक्षित उत्प्रेरकों को प्रोत्सहान का भुगतान निम्नवर्णित तालिका के आधार पर किया जायेगा–

क्रम	Outcome	Output	गतिविधि	भुगतान
1.	ग्राम पंचायत के द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का संकल्प लिया है	1.1 अधिकतर परिवारों के द्वारा टट्टी पर मिट्टी डालने की विधि का उपयोग किया जा रहा है।	1.1.1 Triggering की गई और समुदाय द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की तिथि निर्धारित कर ली गई है।	20%
		1.2 शौचालय निर्माण हेतु शत प्रतिशत गड्ढे की खुदाई की गई है।	1.1.2 प्रभावकारी निगरानी समिति का गठन	
		1.3 वार्ड सभा के द्वारा संकल्प ग्राम पंचायत को समर्पित	1.1.3 राजमिस्त्री की पहचान एवं प्रशिक्षण	
			1.1.4 अहले सुबह एवं शाम में गहन निगरानी को सुनिष्चित कराना	
			1.1.5 कम से कम तीन बार सभी घरों का भ्रमण	
			1.1.6 समुदाय के साथ तकनीकी चर्चा	
			1.1.7 खुले में शौच से मुक्ति की कार्ययोजना के निर्माण कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति को समर्पित करना	
			1.1.8 जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की कार्ययोजना (ODEP) का अनुमोदन	
			1.1.9 वार्ड सभा के आयोजन में सहयोग	
			1.1.10 प्रखण्ड समन्वयकों के द्वारा दैनिक अनुश्रवण	
			1.1.11 प्रखण्ड समन्वयक को साप्ताहिक प्रतिवेदन	
2	50% परिवार ने शौचालय का नियमित उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है	2.1 50%परिवार के द्वारा शौचालय निर्माण कर लिया गया है	2.1.1 अहले सुबह एवं शाम में गहन निगरानी जारी	40%
		2.2 अवशेष शौचालयों के लिए निर्माण सामग्री खरीद ली गई है	2.1.2 निगरानी समिति को गतिविधियां संपादित करने में सहयोग देना; शौचालय निर्माण में समुदाय को सहयोग	
			2.1.3 शौचालय निर्माण जारी	
			2.1.4 विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर triggering किया गया	
			2.1.5 अकार्यरत विद्यालय शौचालय को कार्यरत बनाने के लिए विद्यालय पशासन के साथ समन्वय	
			2.1.6 अकार्यरत आंगनबाड़ी शौचालय को कार्यरत बनाने/शौचालय विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय सुविधा हेतु सेविका के साथ समन्वय	
			2.1.7 जिला समन्वयक के साथ कार्ययोजना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक	
			2.1.8 प्रखण्ड समन्वयक के साथ दैनिक प्रतिवेदन	
			2.1.9 प्रखण्ड समन्वयक को साप्ताहिक रिर्पोट	

3	खुले में शौच से मुक्ति की 100% उपलब्धि	3.1 शत प्रतिशत शौचालय का निर्माण एवं नियमित उपयोग	3.1.1 अहले सुबह एवं शाम में गहन निगरानी जारी	40%
			3.1.2 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की शत प्रतिशत जाँच	
			3.1.3 समुदाय के साथ हाथ की धुलाई एवं बच्चों के मल के सुरक्षित निष्पादन के लिए चर्चा	
			3.1.4 खुले में शौच की अवस्था का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण	
			3.1.5 प्रखण्ड समन्वयक को नियमित रिपोर्टिंग	
			3.1.6 प्रखण्ड समन्वयक को साप्ताहिक रिपोर्ट	

इस संबंध में पूर्व से निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित माने जायेंगे।

4/11/2016

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः 104/1470 पटना, दिनांकः 08/11/2016

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी उप–विकास आयुक्त–सह उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी निदेशक, लेखा–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/11/2016

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः 104/1470 पटना, दिनांकः 08/11/2016

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका–सह–मिशन निदेशक,लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / श्रीमति कनक बाला, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशासनिक पदाधिकारी, जीविका / मुख्य वित पदाधिकारी, जीविका / राज्य परियोजना प्रबंधक, एच.एंड.एन, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रषित।

4/11/2016

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः 104/1470 पटना, दिनांकः 08/11/2016

प्रतिलिपिः मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित।

4/11/2016

(अरविंद कुमार चौधरी)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग